संख्या– 319/xxxii(2)/5(29)/2015/2015–16

प्रेषक,

अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
राज्य सम्पत्ति विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।
राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 29 अप्रैल, 2015

विषय :– विधान सभा भवन के नवनिर्मित एक्सटेंशन ब्लॉक स्टेज–02 स्थित माननीय सभापतियों के कार्यालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष में कुल 14 नग तथा श्री यशपाल आर्या, मा0मंत्री, राजस्व सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें, ग्रामीण सडके एवं ड्रेनेज, भारत–नेपाल उत्तराखण्ड नदी परियोजनायें, उत्तराखण्ड शासन के विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में 01 नग ए0सी0 (स्पिलिट टाईप) संयोजित किये जाने संबंधी कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, 11 वां वि0/यां0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्रांक सं0–3041/2सी0बी0(03)–11/2014–15, दिनांक 26–8–2014 एवं पत्रांक सं0–234/2सी0बी0(03)–11/2014–15, दिनांक 13–2–2015 के माध्यम से उपलब्ध कराये आगणन के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान सभा भवन के नवनिर्मित एक्सटेंशन ब्लॉक स्टेज–02 स्थित माननीय सभापतियों के कार्यालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष में कुल 14 नग तथा श्री यशपाल आर्या, मा0मंत्री, राजस्व सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें, ग्रामीण सडके एवं ड्रेनेज, भारत–नेपाल उत्तराखण्ड नदी परियोजनायें, उत्तराखण्ड शासन के विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में 01 नग ए0सी0 (स्पिलिट टाईप) हेतु प्रस्तुत क्रमशः अनुमानित लागत **₹ 9.86 लाख एवं ₹ 0.67 लाख** के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के अनुसार संस्तुत **₹ 9.48 लाख (₹ नौ लाख अडतालिस हजार मात्र) एवं ₹ 0.67 लाख (₹ षर्सठ हजार मात्र)** की धनराशियों के योग की कुल धनराशि **₹ 10.15 लाख (₹ दस लाख पन्द्रह हजार मात्र)** के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को **शासनादेश सं0–439/xxxii(1)/01(एक)–01/बजट–मुख्य/2015–2016 दि0 18, अप्रैल ,2015, आवंटन पत्र सं0–439/xxxii(1)/01(एक)–01/2015–2016, अलोटमेंट आई डी–H1504070092, आवंटन दि0,10, अप्रैल, 2015** द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गई धनराशि में से व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का निम्न शर्तो के अधीन नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

1– उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ कर पूर्ण करा लिया जायेगा।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर अथवा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

4– उक्त कार्य हेतु अनुमानित धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय के उपरान्त यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसका समर्पण अथवा राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्य की अनुमन्यता निर्धारित मानकों के अनुसार है, यह भी कृपया सुनिश्चित किया जाय।

6– कार्यदायी संस्था द्वारा व्यवस्थाधिकारी, विधान सभा, उत्तराखण्ड से उक्त ए0सी0 स्थापित किये जाने तथा संतोषजनक/संतुष्टिपरक/गुणवत्ता पूर्वक कार्य पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य समय से पूर्ण एवं गुणवत्ता हेतु समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8– यदि कार्यो हेतु धनराशि की पुनरावृत्ति की गई होगी तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

9– ए0सी0 स्थापित किये जाने हेतु एक रजिस्टर बनाया जाय जिसमें किये गये कार्यो को अंकित किया जाये।

10– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

11– उक्त कार्य एवं कार्य से संबंधित सामग्रियों का क्रय एवं भुगतान के संबंध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008 में प्राविधानित नियमों एवं दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायें।

13– आगणन जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गई है व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए, एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापि व्यय नही की जाय।

14– आयकर की कटौती संबंधित अनुरक्षण इकाई द्वारा अपने स्तर से करायी जायेगी।

15– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे तथा आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा एवं कार्य समय से पूर्ण करा लिया जायेगा एवं कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

16– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV-219 (2006) दि0 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन करने का काष्ट करें।

3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कुल धनराशि **₹ 10.15 लाख (₹ दस लाख पन्द्रह हजार मात्र)** को अधिशासी अभियन्ता, वि0/यां0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा–देहरादून के खाता संख्या–**32844212883**, आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या–**SBIN0000630** में नियमानुसार जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। टिन न0–**05012726231** तथा पैन/टैन न0– **MITE 00888G** है।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2052–सचिवालय सामान्य सेवायें–00–आयोजनेत्तर–091–संलग्न कार्यालय–03–राज्य सम्पत्ति विभाग–26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र के नामे डाला जाएगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01, अप्रैल, 2015 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

संख्या–319/xxxii(2)/5(29)/2009/2015–16, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।
2– वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला।
3– प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
4– अधीक्षण अभियन्ता, 9वॉ वृत्त एवं 11 वॉ वि0/यां0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
5– अधिशासी अभियन्ता, वि0/यां0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
7– व्यवस्थाधिकारी, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8– मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
10– सचिवालय प्रशासन लेखा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।